

श्री राजेश कुमार, भा0प्र0से0, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा की अध्यक्षता में दिनांक 31.5.2025 को आयोजित बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

#### उपस्थिति:-पंजी के अनुसार

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई। तत्पश्चात जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर समीक्षा की गई:-

**परिवारों का वास्तविक निराकरण की स्थिति :-** प्रमंडलाधीन बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत प्राप्त परिवार एवं निष्पादन की स्थिति (प्रारंभ से अब तक) निम्नवत है :-

जिला-सहरसा:-

दिनांक-27.05.2025 तक की अद्यतन स्थिति

| जिला  | कार्यालय का नाम                                          | कुल लंबित मामले | प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु लंबित मामले | सुनवाई हेतु लंबित मामले | 60 कार्य दिवस से अधिक लंबित मामलों की संख्या |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| सहरसा | जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सहरसा                  | 149             | 39                                      | 110                     | 0                                            |
|       | अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सदर सहरसा         | 328             | 216                                     | 112                     | 0                                            |
|       | अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर | 49              | 0                                       | 49                      | 0                                            |

जिला-सुपौल:-

| जिला  | कार्यालय का नाम                                    | दायर परिवार की कुल संख्या | कुल निष्पादित परिवार की संख्या | कुल लंबित मामलों की संख्या | 60 कार्य दिवस से अधिक लंबित मामलों की संख्या |
|-------|----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| सुपौल | जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सुपौल            | 8988                      | 8956                           | 32                         | 0                                            |
|       | अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सदर सुपौल   | 9664                      | 9594                           | 70                         | 0                                            |
|       | अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, त्रिवेणीगंज | 10007                     | 9888                           | 119                        | 0                                            |
|       | अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, वीरपुर      | 10665                     | 10602                          | 63                         | 0                                            |
|       | अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, निर्मली     | 3163                      | 3139                           | 240                        | 0                                            |

जिला-मधेपुरा:-

| जिला  | कार्यालय का नाम                                    | दायर परिवार की कुल संख्या | कुल निष्पादित परिवार की संख्या | कुल लंबित मामलों की संख्या | 60 कार्य दिवस से अधिक लंबित मामलों की संख्या |
|-------|----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| सुपौल | जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मधेपुरा          | 2591                      | 2521                           | 70                         | 0                                            |
|       | अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सदर मधेपुरा | 5819                      | 5644                           | 175                        | 0                                            |
|       | अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज | 6443                      | 6212                           | 231                        | 0                                            |

उपर्युक्त समीक्षात्मक बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी यदि किसी आवेदन को अस्वीकृत करते हैं तो आदेश में अस्वीकृति का कारण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय तथा परिवारों का निस्तार सकारण आदेश से किया जाय। सामान्यतः परिवारी कम पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, उनका आवेदन सिर्फ इस आधार पर कि परिवार का विषय वस्तु या भाषा स्पष्ट नहीं है, को सीधे अस्वीकृत किया जाता है। जो उचित स्थिति नहीं है। इस संबंध में परिवारी की भावना को भी समझना

होगा। लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत प्राप्त परिवाद पत्र/अपील के मामले में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को यह जानने की कोशिश होनी चाहिए कि परिवाद/अपील का विषय वस्तु क्या है, परिवाद सही है अथवा नहीं। यदि परिवाद सही है तो परिवाद का बिन्दु अंकित करते हुए लोक प्राधिकार को सुनवाई में सीधे बुलाने के बजाय उनसे पहले प्रतिवेदन प्राप्त किया जाय। जरूरत पड़ने पर लोक प्राधिकार को बुलाया जाय या उनसे दूरभाष पर बात कर परिवाद का निस्तार किया जाय।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

६०१-

आयुक्त,

कोशी प्रमंडल, सहरसा।

सहरसा, दिनांक ०३-०६-२०२५

ज्ञापांक ३४७३

प्रतिलिपि:-

अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सहरसा सदर/सिमरी बख्तियारपुर/सदर सुपौल/त्रिवेणीगंज/वीरपुर/निर्मली/सदर मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-

जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सहरसा/सुपौल/मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-

जिला पदाधिकारी, सहरसा/सुपौल/मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-

अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

P. K.

०३/०६/२५.

आयुक्त,

कोशी प्रमंडल, सहरसा।